संख्या-31/1053/84-डे0ई0-13-03चिकित्सा/13

प्रेषक,

धर्म चन्द्र पाण्डेय,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रभारी चिकित्साधिकारी,
उ0प्र0 सचिवालय डिस्पेंसरी,
लखनऊ।

उपभोक्ता संरक्षण एवं बाँट माप डे0ई0 लखनऊ :: दिनांक 21 जनवरी, 2014

विषय:- श्रीमती सुनीता, अनुसेविका, उपभोक्ता संरक्षण एवं बाँट माप अनुभाग-2 द्वारा अपनी पुत्री की करायी गयी चिकित्सा पर व्यय की धनराशि रू0 5,795/- की प्रतिपूर्ति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक श्रीमती सुनीता, अनुसेविका, उपभोक्ता संरक्षण एवं बाँट माप अनुभाग-2 द्वारा अपरिहार्य परिस्थितियों में अपनी पुत्री का निजी महिला चिकित्सक डा0 भावना खरे, 17 गुरूद्वारा नाका हिन्डोला विजय नगर लखनऊ से दिनांक 13 मार्च, 2013 से दिनांक 04 जून, 2013 तक की अवधि में करायी गयी चिकित्सा पर व्यय हुयी धनराशि रू0 5,795.00 (रूपये पाँच हजार सात सौ पच्चानबे मात्र) से संबंधित चिकित्सक का प्रमाण पत्र एवं कार्यालय को दी गयी सूचना की छाया प्रति तथा चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति दावा (अनिवार्यता प्रमाण एवं बिल बाउचर्स) मूलरूप में संलग्न कर भेजते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया प्रश्नगत दावे का तकनीकी परीक्षण कराकर प्रस्तुत दावे हेतु देय धनराशि स्पष्ट रूप से इंगित करते हुए अपनी संस्तुति उपभोक्ता संरक्षण एवं बाँट माप डेस्क इकाई, उत्तर प्रदेश शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक::यथोक्त (मूलरूप में)

भवदीय,

(धर्म चन्द्र पाण्डेय)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in/